न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री पतराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना निवासी ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

-----------सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

------ गैरसायल

प्रार्थना–पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश दिनांक :– 27.06.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 1718 रकबा 1.13 हैक्टे0, 1715 रकबा 0.80 हैक्टे, 1669 रकबा 0.49 हैक्ट, 1711 रकबा 1.35 हैक्ट0 वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमे प्रार्थी का नाम पितराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम पतराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम पितराम के स्थान पर पतराम दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत कालवाडी की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड, पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

कठूमर (अलवर) राज0

में प्रार्थी का नाम पितराम के स्थान पर पतराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत कालवाडी की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड से आराजी ख. नं. 1718 रकबा 1.13 हैक्टे0, 1715 रकबा 0.80 हैक्टे, 1669 रकबा 0.49 हैक्ट, 1711 रकबा 1.35 हैक्ट0 वाके ग्राम कालवाडी तहसील कटूमर में पितराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना के स्थान पर पतराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

--:आदेश:--

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आराजी ख. नं. 1718 रकबा 1.13 हैक्टे0, 1715 रकबा 0.80 हैक्टे, 1669 रकबा 0.49 हैक्ट, 1711 रकबा 1.35 हैक्ट0 वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में पितराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना के स्थान पर पतराम पुत्र श्री डोडीराम जाति मीना दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०